


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052023-246133
CG-DL-E-27052023-246133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]
No. 318]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 2023/ज्येष्ठ 6, 1945
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 2023/JYAISHTHA 6, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2023

सं. 38/2023- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 392(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/97-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, गुजरात राज्य से सम्बंधित क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (xv) के उपरान्त और कॉलम (4) में अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जाएगा, यथा : -

(3)	(4)
“(xvi) ग्राम दहेज, तालुका वगरा, जिला भरूच	आयातित माल को उतारना तथा निर्यात माल को चढ़ाना ”

[फा. सं. 394/117/2020 (AS)]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 27/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 10 अप्रैल, 2023, सा.का.नि. 283 (अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2023

No. 38/2023-Customs (N.T.)

G.S.R. 392(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (N.T.) dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 193 (E), dated the 2nd April, 1997, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 4 relating to the State of Gujarat, in column (3), after the entry at item (xv) and corresponding entry in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“(xvi) Village Dahej, Taluka Vagra, Distt, Bharuch	Unloading of imported goods and loading of export goods”

[F. No. 394/117/2020 (AS)]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

Note:- The principal notification No.12/97-Customs(N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification number 27/2023-Customs (N.T.) dated the 10th April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 283 (E), dated the 10th April, 2023.